कार्यालय नगर पंचायत छतारी जनपद–बुलन्दशहर

पत्रांक 803/न0पं0छ0/2018–19/ठेकेजात   दिनाँक 22-02-2019

अति अल्पकालीन निविदा सूचना (सार्वजनिक ठेकेजात)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0 617/09–09–2012–160ज/2011 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि हेतु नगर पंचायत छतारी के निम्नलिखित ठेकों को उठाने हेतु निविदाए **दिनांक 28.02.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे** तक कार्यालय नगर पंचायत छतारी में सीलबन्द लिफाफों में आमान्त्रित की जाती है, जो उसी दिन **04.00 बजे** निविदादाताओं की उपस्थिति में कार्यालय नगर पंचायत छतारी में खोली जायेगी। निविदा–प्रपत्र दिनांक **23.02.2019** से **27.02.2019** को समय अपरान्ह 04 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत छतारी से नगद मूल्य पर क्रय किये जा सकते है।

क्र0 सं0	ठेके का नाम	निविदा मूल्य	ठेके की अवधि	ठेके की धनराशि (सरकारी बोली) (विगत वर्ष+10%)	अग्रिम धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पशु बाजार (पैंठ)	200/–	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	133200/–	15000/–
2	वाहन स्टैण्ड (अड्डा) शुल्क वसूली।	200/–		295800/–	15000/–
3	ठेका मुर्दा मवेशी।	200/–		6000/–	4000/–
4	साप्ताहिक बाजार (प्रत्येक शुकवार)	200/–		61200/–	5000/–

1. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जावैगा।
2. प्रत्येक ठेके के लिए अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे देना होगा जिस पर ठेके का स्पष्ट विवरण अकिंत होगा।
3. निविदादाता को अपना रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज व आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. ठेके की धरोहर राशि नगद/एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत छतारी के पदनाम से बन्धक हो, निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करनी अनिवार्य होगी अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
5. अधिकतम धनराशि वाली निविदा को स्वीकार किया जायेगा किन्तु किसी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत छतारी में विहित होगा।
6. निविदा स्वीकार के पश्चात क्र0सं0 1 से 4 तक 1/4 भाग तुरन्त धनराशि जमा करनी होगी।
7. निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेको का नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्धन कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में ठेका स्वतः समाप्त माना जायेगा जिसके लिए नोटरी शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अलग से निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नही होगी।
8. निविदा दाता को निविदा स्वीकृति के पश्चात नगर पंचायत अधिकारियों, प्रभारी अधिकारी तथा शासनादेश का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदारों पर पिछला धन बाकी है तो निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।
10. सभी ठेको पर न0पं0 छतारी की उपविधियों में दिये गये नियम/शर्ते लागू होगी।
11. ठेकों से सम्बन्धित अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष

लिपिक/टै0क0 **नगर पंचायत छतारी** **बुलन्दशहर।**	**अधिशासी अधिकारी** **नगर पंचायत छतारी** **बुलन्दशहर।**	**अध्यक्ष** **नगर पंचायत छतारी** **बुलन्दशहर।**

पृ0सं0 803 (3)/न0पं0छ0/2018–19   तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर को सूचनार्थ।
2. उपजिलाधिकारी शिकारपुर को सूचनार्थ।
3. कार्यालय एन0आई0सी0 को इस आशय से प्रेषित कि अपनी वेबसाइट www.Bulandshahr.nic.in में अपलोड करें।
4. दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित कर पॉच प्रति बिल सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित कर पॉच प्रति बिल सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा।

22.02.19

अध्यक्ष

लिपिक/टै0क0 **नगर पंचायत छतारी** **बुलन्दशहर।**	**अधिशासी अधिकारी** **नगर पंचायत छतारी** **बुलन्दशहर।**	**अध्यक्ष** **नगर पंचायत छतारी** **बुलन्दशहर।**

Scanned by CamScanner